TaxcodeIN | www.taxcode.in

whole of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with section 5 of the Integrated Goods and Service Tax Act, 2017 (13 of 2017).

[F. No. DGEP/SEZ/09/2017]

DHARMVIR SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2017

सं. 17/2017– एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 834(अ).—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. संख्यांक 740(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 15/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 को, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जिन्हे ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था।

[फा. सं. डीजीईपी/एसईजेड/09/2017]

धर्मवीर शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2017

No. 17/2017 -Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 834(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Service Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 15/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 740 (E), dated the 30th June, 2017.

[F. No. DGEP/SEZ/09/2017]

DHARMVIR SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2017

सं. 18/2017– एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 835(अ).—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों पर, प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए विशेष आर्थिक जोन में कि किसी

TaxcodeIN | www.taxcode.in